"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 जुलाई 2010—आषाढ़ 11, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जून 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/1/2.—श्री तपेश झा, (भा.व.से.), वन संरक्षक, रायपुर की सेवायें वन विभाग से लेते हुए पर्यटन विभाग को प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल के पद पर पदस्थापना हेतु सौंपी जाती है.

2. श्री तपेश झा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (1992), सचिव, खेल एवं युवक कल्याण, संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग एवं प्रबंध संचालक, छ. ग. पर्यटन मण्डल केवल प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

रायपुर, दिनांक 18 जून 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/एक/2.—डॉ. रोहित यादव, भा.प्र.से. (2002), संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण तथा संचालक, तकनीकी शिक्षा को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संचालक, राज्य साक्षरता मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जून 2010

क्रमांक 5654/डी-1264/21-ब/छ. ग./2010.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं डब्ल्यू. पी. (सी) क्र. 1022/1989 ऑल इण्डिया जंजेस एसोसिएशन विरुद्ध यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य दिनांक 7-10-2009 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के पालन में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा वेतन पुनरीक्षण, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ नियम, 2003 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,

(1) नियम 11 (क) के उपनियम (2) में अंक एवं शब्द "1 जुलाई, 1996" के स्थान पर अंक एवं शब्द "1 जनवरी, 1996" प्रतिस्थापित किया जाये.

(2) नियम 11 (क) के उपनियम (2) (ख) में अंक "01-07-1996" के स्थान पर अंक एवं शब्द "1 जनवरी, 1996" प्रतिस्थापित किया जाये.

No. 5654/D-1264/XXI-B/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India and in compliance with the direction issued by the Hon'ble Supreme Court in writ petition (C) No. 1022 of 1989 All India Judges Association Vs. Union of India and others dated 07-10-2009, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following further amendment in Chhattisgarh Judicial Service Pay Revision, Pension and Other Retirement Benefit Rules, 2003, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,

(1) In sub-rule (2) of Rule 11 (A), for the words and figures "1st July, 1996" the words and figures "1st January, 1996" shall be substituted.

(2) In clause (b) of sub-rule (2) of Rule 11 (A), for the figures "01-07-96" the figures "01-01-96" shall be substituted.

Raipur, the 2nd June 2010

F. No. 5656/D-1264/XXI-B/C.G./2010.—In compliance with the directions issued by the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (C) No. 1022 of 1989, All India Judges Association Vs Union of India and others dated 07-10-2009, the State of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the department's order No. 13040/XXI-B/C.G./06, dated 31st October, 2006, namely :—

AMENDMENT

In the said order,—

In para (12), for the words "Special Allowance" wherever they occur the words "Special Pay" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जून 2010

क्रमांक 3005/1265/2010/38-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (6) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्रयोजनों के लिये सक्षम प्राधिकारी के कार्यों के निर्वहन के लिये सक्षम प्राधिकारी के रूप में राज्य शासन को विनिर्दिष्ट किया जाता है.

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. दीक्षित, उप-सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मई 2010

क्रमांक/एफ 10-16/25-3/09/आजावि.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची में अनुक्रमांक 30 पर अंकित "गारपगारी, नाथ-जोगी, जोगीनाथ, हरिदास" के पश्चात् "नाथयोगी" स्थापित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, पुर

रायपुर, दिनांक 9 जून 2010

क्रमांक 1901/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/308/डी-15/116/2003-2004 दिनांक 13-05-2004 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

अंक "2009" के स्थान पर, अंक एवं शब्द "01-04-2010 से 31-03-2012" प्रतिस्थापित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 जून 2010

क्रमांक 1901/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1901/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2 दिनांक 9 जून 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 9th June 2010

No. 1901/D-15/116/part-2/2004/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 69 of Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby makes the following further amendment in the Departmental Notification No. 308/D-15/116/2003-2004, dated 13-05-2004, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification,—

For the figure "2009" the figure and words "01-04-2010 to 31-03-2012" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 3 मार्च 2010

क्रमांक 02/अ-82/2009-10/सा-1-सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	बिटकुला	0.036	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. सीपत	एन. टी. पी. सी. परि-योजना सीपत के रेलपथ निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

बिलासपुर, दिनांक 7 जून 2010

क्रमांक 25/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	बारीउमराव	1.459	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	घाघरा जलाशय के शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 जून 2010

क्रमांक 04/अ-82/2009-10/सा-1-सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	जेवरा	0.478	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन विभाग, बिलासपुर.	फूटामूडा जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 जून 2010

क्रमांक/114/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	जोंगरा प.ह.नं. 06	0.134	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	सरवानी वितरक नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 16 जून 2010

क्रमांक/2519/अ.भू.अ.प्र./प्र-8/अ-82/वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	किरकी प. ह. नं. 08	7.69	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन बेमेतरा संभाग, बेमेतरा.	किरकी जलाशय के डुबान एवं नहर निर्माण में भूमि अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग.

कोरबा, दिनांक 21 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	सिरली	0.44	प्रबंधक, एन.टी.पी.सी. सीपत	रेल पथ निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 21 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	रेंकी	0.32	प्रबंधक, एन.टी.पी.सी. सीपत	रेल पथ निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 5 जून 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	लाखा प. ह. नं. 15	3.930	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के डूब से प्रभावित सड़क के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 2 जून 2010

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./18/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा (5) (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	सिलयारी प. ह. नं. 85/7	702/1 ख	0.101	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	चरोदा, मोहंदी-गोढ़ी सिलयारी मार्ग के निर्माणाधीन कोलहान नाला सेतु के सिलयारी की पहुंच मार्ग हेतु.
			701/3	0.101		
		योग	02	0.202		

रायपुर, दिनांक 15 जून 2010

क्रमांक/284/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 6 अ/82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा (5) (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	अंमसेना प. ह. नं. 48	546	0.10	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, द्वितीय चरण संभाग रायपुर छत्तीसगढ़.	मेन केनाल निर्माण हेतु
		योग		0.10		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 16 जून 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/03/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	सोनारपाल	0.33	कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत सोनारपाल देवड़ा माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 16 जून 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/04/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	केशरपाल	0.537	कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत केशरपाल माइनर नहर क्रमांक 2 के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 16 जून 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/05/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	केशरपाल	0.899	कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत केशरपाल माइनर नहर क्रमांक 3 के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 26 मई 2010

क्रमांक/385/अ.वि.अ./भू-अर्जन/09/अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-राजिम
- (ग) नगर/ग्राम-किरवई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.072 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	135	0.032
	136/1	0.040
योग	2	0.072

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- किरवई-धमनी-अरण्ड मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमंतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 31 मई 2010

क्रमांक/359/क/भू-अर्जन/02 अ/82, वर्ष 08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-धमतरी
- (ग) नगर/ग्राम-आमदी, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.54 हेक्टेयर,

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	640	0.41
	763	0.11
	760/2	0.22
	753	0.21
	746	0.02
	754	0.11
	755	0.09
	744/1	0.25
	745	0.12
योग	9	1.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-भानपुरी-आमदी मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 31 मई 2010

क्रमांक/360/क/भू-अर्जन/01 अ/82, वर्ष 08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हों गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-धमतरी
- (ग) नगर/ग्राम-भानपुरी, प. ह. नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.31 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	76	0.05
	77	0.10
	112/1	0.13
	112/2	0.02
	113	0.01
योग	5	0.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-आमदी-भानपुरी मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 9 जून 2010

क्रमांक/1256/अ.भू-अ.प्र./03/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-बिरझापुर, प. ह. नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.35 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	321	0.14
	288/2	0.08
	289/13	0.09
	294	0.04
योग	4	0.35

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अकोली जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 जून 2010

क्रमांक/2489/प्र. 1/अ.वि.अ./2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-कुसमी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.10 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	808	0.01
	819	0.03
	820/1, 820/2	0:06
योग	4	0.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 28 जून 2010

क्रमांक 5363/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-नंदई, प. ह. नं. 35/1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-21.083 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
82/1	0.089
87	0.162
88/10	0.405
88/5	0.049
88/9 (ख)	0.020
86/6	0.129
86/7	0.607
86/1 (क)	0.307
86/1 (ख)	0.708
92/5	0.154
91/8	0.121
1669/1, 1670/1, 1674/1, 1675/1, 1676/1, 1677/1, 1678/1	0.210
92/1	0.267
92/7	0.081
92/8	0.049
92/3	0.316
94/2, 94/3	0.429
94/1	0.466
94/6	0.020
127/2	0.247
128/1	0.202
127/1	0.020
130/3, 131/3	0.639
199/5	0.024
207, 208, 209/2	0.445
116/6	0.073
174/1, 187/2, 188/1, 189/1	0.194
194/1, 195/1	0.170
174/2, 187/3, 188/2, 189/2	0.194
186/1, 190/1, 193/1, 186/2, 190/2, 193/2	0.405
185	0.307
198	0.534
199/1	0.016
1669/5-9, 1670/5-9, 1674/5-9, 1675/5-9, 1677/5-9, 1678/5-9	0.278
199/6	0.016
1669/10-14, 1670/10-14, 1674/10-14, 1675/10-14, 1677/10-14, 1678/10-14	0.278
199/7	0.016
1669/12, 1670/12, 1674/12, 1675/12, 1677/12, 1678/12	0.085
1669/16, 1670/16, 1674/16, 1675/16, 1677/16, 1678/16	0.194
199/9	0.016
1669/13-17, 1670/13-17, 1674/13-17, 1675/13-17, 1677/13-17, 1678/13-17	0.278
210	0.049
212	0.020
213/1, 213/2	0.053
213/3	0.020
214/2	0.194
229/4	0.118
214/1	0.332
225/1	0.202
225/5, 225/6	0.320
225/2	0.040
225/3, 227	0.057
230/2	0.073
1526/2, 1537/2	0.194
225/4	0.101
229/1	0.117
229/2	0.162
248/9	0.251
1538/2, 1539/2, 1639/2, 1640/2	0.283
229/3	0.231
230/3	0.073
246	0.154
248/4	0.016
1556/7, 1557/7, 1562/7, 1566/7, 1567/7, 1568/7	0.365
1556/5, 1557/5, 1562/5, 1566/5, 1567/5, 1568/5	0.243
1556/6, 1557/6, 1562/6, 1566/6, 1567/6, 1568/6	0.186
1556/3, 1557/3, 1562/3, 1566/3, 1567/3, 1568/3	0.243
1569, 1570, 1571, 1572	0.057
1549/1, 1550/1, 1551/1, 1552/1, 1553/1	0.445
247	0.291
1659/2	0.170
1549/2, 1550/2, 1551/2, 1552/2, 1553/2	0.243

(1)	(2)
1543/7, 1544/7, 1545/7, 1546/7, 1548/7	0.591
1549/2	0.356
1542/6	0.162
1540/2	0.234
1540/3	0.202
1540/4, 1540/5	0.454
1524/2	0.202
1524/1	0.085
1524/4	0.085
1524/5	0.081
1525/1	0.206
1525/2	0.125
1538/4, 1539/4, 1639/7, 1640/4	0.065
1538/7, 1539/7, 1639/11, 1640/7	0.210
1538/1, 1539/1, 1639/1, 2, 3, 4, 1640/1	0.142
1526/3, 1537/3	0.210
1642	0.753
1663/1, 1664/1	0.142
1663/2, 1664/2	0.142
1663/3, 1664/3	0.142
1667/2	0.142
1662	0.275
1661	0.170
1668	0.332
1669/4, 1670/4, 1674/4, 1675/4, 1676/4, 1677/4, 1678/4	0.162
1669/8, 1670/8, 1674/8, 1675/8, 1676/8, 1677/8	0.364
1672/2, 1673/2	0.162
1672/4, 1673/3	0.162
1672/6, 1673/5	0.202
योग 101	21.083

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बाईपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 7 जून 2010

प्रकरण क्रमांक 61/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-मल्हार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.47 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
2335/2, 2336/2	0.14
2356	0.02
2357	0.03
2358/1	0.02
2358/2	0.02
2358/3	0.04
2358/4	0.04
2358/5	0.04
2358/6	0.04
2372	0.0[illegible]
योग 10	0.4[illegible]

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक[illegible] है-लीलागर नदी एनीकट के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभा[illegible]य अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया [illegible] सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा [illegible]ानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं [illegible] उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 16 जून 2010

क्रमांक क/भू-अर्जन/02/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बस्तर
- (ग) नगर/ग्राम-बड़े अलनार, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.824 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	628/1	0.100
	629	0.112
	642/2	0.076
	642/6	0.136
	632	0.120
	327/774	0.136
	627/6	0.008
	642/3	0.120
	694	0.016
योग	9	0.824

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर जिला बस्तर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर, एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम दिनांक 18 जून 2010

रा. प्र. क्र.-10 अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
- (ख) तहसील-पण्डरिया
- (ग) नगर/ग्राम-महीडबरा, प. ह. नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.742 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
21	0.668
32	0.125
151/7	0.053
22/1	0.526
24/1 ख	0.279
24/2	0.344
25	0.117
26, 28/2	0.113
30/1	0.109
30/2	0.109
88/1 क, 89/1	0.304
38/1 ख, 89/2	0.214
84	0.413
88/2	0.012
99/1	0.243
99/3	0.162
86, 99/2	0.186
105/1, 105/2	0.454
111/1	0.190
111/2	0.231

(1)	(2)
112	0.186
113	0.008
115/2	0.158
156/1	0.267
156/2	0.340
151/1 घ/ 19	0.425
151/1 घ/21	0.344
151/1 घ/20	0.162
योग 28	6.742

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- महीडबरा जलाशय एवं नहर निर्माण से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम दिनांक 18 जून 2010

रा. प्र. क्र.-11 अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अंनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
- (ख) तहसील-पण्डरिया
- (ग) नगर/ग्राम-पुटपुटा, प. ह. नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.694 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
141	0.284
151/2	0.405
138/1 ग	0.162
170/3, 171, 181/1	0.450
127/2, 131, 132/2, 137, 138/1, 138/2	0.263
133/1	0.081
133/2	0.085
211/1	0.365
122/1, 123/2	0.150
119/4	0.174
211/2, 212/1, 213/3	0.045
202/2	0.089
207/3	0.061
207/7	0.036
202/5	0.162
127/5, 151/7, 152/4, 153/5, 154/7, 166/1	0.101
202/1 क	0.069
202/1 ख	0.061
150/1 क, 151/10	0.202
195	0.400
127/1, 151/3, 152/1, 153/2, 154/2, 154/2, 166/1 ख	0.142
201	0.194
117/1	0.016
119/1	0.061
119/3	0.049
117/2	0.045
150/1 ख, 151/1 ख	0.284
202/4	0.138
154/1, 161/2	0.130
154/4, 161/1, 164, 166/1 ग	0.146
162, 163, 166/1 ग, 170/1	0.247
169/3, 181/3, 182, 183/1, 193/2, 204/1, 205/4	0.280
181/2 ख, 183/3 ख	0.065
185/1, 186	0.130
150/4	0.122
योग 34	5.694

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पुटपुटा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम दिनांक 18 जून 2010

रा. प्र. क्र.-12 अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
- (ख) तहसील-पण्डरिया
- (ग) नगर/ग्राम-पोलमी, प. ह. नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.135 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
190	0.134
188/1, 193/1	0.040
191, 192/1 क	0.409
251/1	0.490
196/4 ख	0.024
194/1	0.097
194/2, 251/2	0.114
329/1	0.024
330	0.070
331	0.012
333	0.024
334/3 क, 336/1 क, 339/2 ग	0.061
334/3 ख, 336/1 ख, 336/2 ख	0.061
254/1 ख, 211/2 ख	0.219
337	0.070
339/1 ख	0.028
339/4, 432/2	0.097
432/1 क	0.134
432/1 ख	0.061
436/2, 436/3, 438/2, 463/1	0.450
438/1	0.466
460/2	0.689
462/2	0.130
191, 192/1 ख	0.081
254/1 क, 311/2 क	0.101
254/3, 310/3, 311/5	0.049
योग 26	4.135

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पुटपुटा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम दिनांक 18 जून 2010

रा. प्र. क्र.-13 अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
- (ख) तहसील-पण्डरिया
- (ग) नगर/ग्राम-कापादह, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.550 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
198/1, 199/1, 200/1, 201/1, 202/1, 203/1	0.162
198/2, 199/2, 200/2, 201/2, 202/2, 203/2	0.041
211/1	0.004
212	0.049
213/1	0.105
220	0.004
223	0.073
165	0.073
222	0.061

(1)	(2)
221/3	0.008
221/2	0.065
139	0.053
168/1	0.049
169/1	0.020
169/2	0.061
166/3	0.065
164	0.061
157/4	0.081
149/1	0.085
146	0.049
140	0.049
157/3	0.061
141/3	0.008
186/2	0.113
141/4	0.020
383/1	0.053
383/2	0.008
135/1	0.024
382	0.045
योग 25	1.550

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अपर आगर व्यपवर्तन योजना के. नहर निर्माण से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. संगीता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 मई 2010

क्रमांक 774-A/एस. डब्लू/2010/2852.—कार्यपालन अभियंता लो.नि.वि.सेतु निर्माण संभाग, रायपुर के पत्र क्र. 1363/शिल्प/जवा.सेतु/रायपुर दिनांक 12-04-10 में दिये गये प्रस्ताव से सहमत होते हुए मैं, संजय गर्ग, जिला दंडाधिकारी, रायपुर मध्यप्रदेश मोटरयान अधिनियम 1994 के नियम 215 में दिये गये प्रदत्त अधिकार के तहत लोक सुरक्षा की दृष्टि से अभनपुर-राजिम-गरियाबंद के किलोमीटर 45/6 से 46/2 में स्थित जवाहर सेतु मार्ग पर सभी हल्के एवं भारी वाहनों के आवागमन के प्रतिबंध के साथ-साथ पुल पर से यातायात बंद करने आदेशित करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

संजय गर्ग,
जिला दंडाधिकारी.

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जून 2010

क्रमांक 153/नग्रानि/वि.यो./2010.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि जगदलपुर निवेश क्षेत्र की विकास योजना में प्रस्तावित उपांतरणों का प्रारूप छ. ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (1) (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार प्रकाशित किया गया है एवं उक्त प्रारूप की प्रति उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर, कलेक्टर कार्यालय, बस्तर जिला जगदलपुर एवं नगर निगम कार्यालय, जगदलपुर के कार्यालयों में दिनांक 25 जून 2010 से कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. प्रारूप योजना (रिपोर्ट) की प्रति उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जगदलपुर के कार्यालय में निर्धारित राशि अदायगी करने पर प्रदाय होगी.

उक्त प्रस्तावित उपांतरणों के प्रारूप की विशिष्टियां नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गयी है :—

अनुसूची

1. भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र.

2. प्रस्तावित उपांतरणों के प्रारूप के उपबंधों को स्पष्टीकृत करने वाले मानचित्रों तथा चार्ट समर्थित की गयी वृत्तात्मक रिपोर्ट.

3. प्रस्तावित उपांतरणों के प्रारूप के कार्यान्वयन की क्रमावस्था.

4. प्रस्तावित उपांतरणों के प्रारूप को प्रवर्तित करने के लिए तथा वह रीति जिसमें विकास के लिए अनुज्ञा अभिप्राप्त की जा सकेगी, कथित कराने के लिए उपबंध.

5. लोक प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन के खर्चे तथा प्रस्तावित उपांतरणों के प्रारूप के कार्यान्वयन के अन्तर्विहित कार्यों के खर्चे का लगभग प्राक्कलन.

उक्त प्रारूप प्रस्ताव के संबंध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे इस सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने की तिथि से तीस दिन की कालावधि के भीतर उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जगदलपुर को भेजें या निरीक्षण स्थल पर प्रस्तुत करें.

No. 153/T&CP/D.P./2010.—Notice is hereby given that the draft of proposed modification in the development plan for Jagdalpur Planning Area is published in accordance with the provisions of sub-section (1) and (2) of section 23 read with sub-section (1) of section 18 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection w.e.f. 25th June 2010 at the Offices of Deputy Director, Town & Country Planning, Regional Office, Jagdalpur, Collector, Jagdalpur and Municipal Corporation, Jagdalpur during office hours except holidays. Copies of the draft Plan (Report) will be supplied on payment at the office of the Deputy Director, Town & Country Planning, Regional Office, Jagdalpur.

The particulars of the said draft of the proposed modification have been specified in the schedule given below.

SCHEDULE

1. The existing land use map.

2. A narrative report, supported by maps and charts. Explaning the provisions of the draft of the proposed modifications.

3. The phasing of implementation of the draft of modifications.

4. The provision of enforcing the draft of modifications and starting the manner in which permission to development may be obtained.

5. An approximate of the cost of land acquisitions for public purposes and the cost of work involved in the implementation of the draft of proposed modifications.

If there be any objection or suggestion with respect to the said draft plan it should be sent to Deputy Director Town & Country Planning, Regional Office Jagdalpur or may be submitted at the inspection places within thirty days from the day of publication of this notice in the "Chhattisgarh Gazette."

एस. एस. बजाज,
संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 17th June 2010

No. 252/L.G./2010/II-2-3/2000.—Smt. Anuradha Khare, Judge, Family Court, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 04 days from 25-06-2010 to 28-06-2010 along with permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Khare, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 240+04 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

By order of the High Court,
BALINDAR SINGH SALUJA, Additional Registrar.